U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj

ihBklhu vf/kdkjh &ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k 40@2018

vihykUV l	cuke	jLikMUV l
1. विशनाराम पुत्र हरदानराम 2. जुझांराम पुत्र जालूराम 3. हीराराम पुत्र जालूराम 4. श्रीमती मीरा पत्नी जालूराम निवासी–पांचणियों की ढाणी, खारिया तला, तहसील–बाडमेर।		1. श्रीमती पारू पत्नी सिदाराम पुत्री मगाराम निवासी मौखाब, तहसील शिव, बाडमेर। 2. पप्पू पत्नी लालाराम पुत्री मगाराम निवासी– रेवाली, बाटालू, तहसील बायतू। 3. गुमनाराम पुत्र मगाराम निवासी– पांचाणियों की ढाणी तहसील बाडमेर। 4. तहसीलदार बाडमेर। 5. नायब तहसीलदार द्वितीय, बाडमेर। 6. जिला कलेक्टर, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 14.03.2015 जो उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2013 में पारित किया गया।

mifLFkfr%&&

1. श्री विजय पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 4 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील उपखण्ड अधिकारी आहोर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 20/2013 अनवान अणसीदेवी बनाम इन्द्रा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 14.03.3015 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2015 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अणचीदेवी के द्वारा वसीयत के बारे में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष कोई दलील अथवाहक वसीयत के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत नही किया गया जो वसीयत की एगजिक्सटेन्स पर संदेह प्रकट करता है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अणचीदेवी के हक में यदि कोई वसीयत है तो विधि अनुसार उसे अपना हक सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही तय कराना पडता है। नामान्तरकरण सम्बन्धित कार्यवाही एवं नामान्तरकरण अपील समरी कार्यवाही की श्रेणी में आती है। इन कार्यवाही में वसीयत के जटिल प्रश्न व हक का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि जब तक वसीयत विधिवत रूप से साबित नही हो जाती जब तक उक्त वसीयत का लाभ कोई भी पक्षकार प्राप्त करने का हकदार नही बन जाता है। इन समस्त बिन्दुओ को माननीय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण हेतु कन्सीड्रेशन में नही लिया गया।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि विवादित म्यूटेशन के प्रश्न पर जब वसीयतीय उत्तराधिकारी एवं विरासतीय उत्तराधिकारी के मध्य विवाद हो तब विरासतीय उत्तराधिकारी के नाम पर ही म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए। उक्त विधिक स्थिति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयो में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस तथ्य को भी उपखण्ड अधिकारी आहोर महोदय के द्वारा कन्सीडर नही किया गया है। ऐसी स्थिती में निर्णय दिनांक 14.03.2015 अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 14.03.2015 जो कि अपील संख्या 20/2013 में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वार पारित किये गये आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम भोरडा के वर्तमान खसरा नम्बर 1216 रकबा 4.57 हैक्टर किस्म नहरी दोयम जिसके पुराने खसरा नम्बर 2010/632 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा थे, का दिनांक 11.07.1966 को रेस्पो0 संख्या एक अणसी के भाई चम्पालाल पुत्र मोमतींग उर्फ मोहब्बतसिंह कौम राव के पक्ष में आवंटन हुआ था जिस पर नामान्तकरण संख्या 513 के माध्यम से आवंटी के पक्ष में खातेदारी दर्ज की गई।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अभिभाषक ने यह कथन किया कि दिनांक 16.10.2004 को अतिरिक्त कलेक्टर जालोर के आदेश द्वारा अपीलांट के भाई का आवंटन निरस्ती के आदेश हुए। प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने परीक्षण न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत मानते हुए दिनांक 24.12.2009 को अपील खारीज करते हए अतिरिक्त कलेक्टर जालोर के आदेश की पुष्टि की ।

10. रेस्पोडेन्ट संख्या के अभिभाषक ने यह कथन किया कि उपरोक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट अणसी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में राजस्व अपील/एलआर/1854/2010 दिनांक 03/06/2013 प्रस्तुत की। उसे राजस्व

मण्डल अजमेर के द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील मंजूर करते हूए अतिरिक्त कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2007 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प–जालोर के द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय 24.12.2009 अनुसार चम्पालाल के आवंटन की सीमा तक अपास्त कर दिया।

11. रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अभिभाषक ने यह कथन किया कि चम्पालाल की मृत्यु वर्ष 1967 में हो चुकी थी तथा चम्पालाल की मृत्यु के बाद राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार अपीलान्ट के भाई चम्पालाल का खातेदारी हक हकूक का हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत धारा 8 के अनुसार अपीलान्ट की माता जमना एकमात्र उक्त खातेदारी की वारीस होने से नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था और उसके बाद जमना की मृत्यु दिनांक 15.06.2010 को हो चुकी थी तो ऐसी सुरत में हिन्दु उत्तराधिकार अधिननियम की धारा 15 के तहत जमना के द्वारा एक वसीयतनामा रेस्पोडेन्टस अणसी के हक में दिनांक 15.7.2010 को उपरोक्त खातेदारी के 1/2 हिस्से का करने से केवल मात्र उक्त खातेदारी में बहेसियत एकामात्र वारीस मुझ रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तकरण से भरा जाना चाहिए था परन्तु रेस्पोडेन्ट के द्वारा इन तमाम तथ्यों की एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनुसार पालना नही करने से और जमना के नाम का चम्पालाल की फौतगी के बाद अदालत के फैसले के अनुसार न भरा जाकर एवं जमना की तहरीर व तकमीलसुदा वसीयत के अनुसार जमना की फौतगी के बाद एकमात्र वारीस रेस्पोडेन्ट अणसी का उक्त खातेदारी के 1/2 हिस्से का होने से नामान्तरकरण भरा जाना कानून आवश्यक था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण गलत रूप से अपीलान्ट के नाम से स्वीकृत किया जो निरस्त करने योग्य था।

12. रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अभिभाषक ने यह कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा चम्पालाल का फौतगी म्यूटेशन जोकि नये सिरे से भरा है, वो भी गलत था। क्योंकि अदालत का यह निर्देश था कि चम्पालाल के जमाबन्दी में दर्ज नाम को पुनः रिवाही उसी तारीख से, जो जमाबन्दी में चल रहा था और

जो नामान्तकरण से चम्पालाल का नाम आया था उसे रिवाही करना था न की चम्पलाल की फौतगी के बाद। वर्ष 2013 के अन्दर चम्पालाल के नाम का म्यूटेशन भरना अनियमितता है और चम्पालाल की मृत्यु के आद रेस्पोडेन्ट की माता के नाम नामा0 भरा जाना कानूनी आवश्यक था तो फिर अधिनस्थ न्यायालय ने जेर अपील म्यूटेशन आदेश में रेस्पोडन्ट का नाम कैसे स्वीकृत किया यह Ipso-facto void है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चम्पालाल के प्रथम श्रेणी की वारिसान रेस्पो0 संख्या एक की माता जमनादेवी थी न कि अपीलान्ट। इस तरह से अधिनस्थ न्यायालय ने जमना के नाम के नामान्तरकरण भरे बगैर ही अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन भरते हुए म्यूटेशन आधार पर जमाबन्दी में नाम दर्ज करने में प्रथम दृष्टया कानूनी व वाकयाती गलती की है। वो नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य ही था। मृतक जमना की दो पुत्रीया सायर देवी व मोहनी देवी की फौत श्रीमती जमना देवी के पूर्व हो चुकी थी इस कारण मृतक मोहनी व सायरी के वारिसान द्वारा का चम्पालाल की सम्पति में कोई हक नही आता है।

13. रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अभिभाषक ने यह कथन किया कि की माता जमनादेवी का देहान्त होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत उक्त नामान्तकरण में रेस्पोडेन्ट के नाम भरने के कोई कानूनी अधिकार नहीं थे क्योकि धारा 15—*General rules of succession in the case of female Hindus, (1) The property of a female Hindu dying instestate shall devolve according to the rules set out in section- 16 |*

14. जमना की मृत्यु के बाद में अगर जमना की इन्टेस्टेड मृत्यु होती तो धारा 15 के तहत कथित तमाम वारिसान के नाम का म्यूटेशन आदेश हो सकता था परन्तु जमना ने अपने जीवनकाल में प्रथम व अन्तिम वसीयत रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 15.06.2004 को की थी और उसके मरणोपरान्त अपीलान्ट एकमात्र की कथित खातेदारी की आराजी के 1/2 हिस्से में बहेसियत एकमात्र वारीस रेस्पोडेन्ट हुई तो अधिनस्थ न्यायायलय द्वारा जमना का म्यूटेशन भरा जाकर

उक्त वसीयत की रूह में रेस्पोडेन्ट का नाम का नामान्तकरण भरा जाना चाहिए परन्तु ग्राम पंचायत ने ऐसा न कर अपीलान्ट के नाम नामा0 भर कर स्वीकृत किया गया जो निरस्त करने योग्य था। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आहोर के द्वारा रेस्पोडेन्टस की ओर से दर्शाये गये इन सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए ही ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 21.10.2013 को निरस्त करते हुए उक्त वसीयतनामें पर सुनवाई कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2015 को पारित किया है, जो यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जावें।

15. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकों द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2015 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की प्रथम अपील को स्वीकार कर यह आदेश पारित किया कि ''नामा0 संख्या 721 दिनांक 21.10.2013 ग्राम भोरडा को अपास्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार भाद्राजून को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयतनामा पर सुनवाई कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।'' में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है क्योंकि अपील प्रकरण में रेस्पो0 संख्या एक अणचीदेवी के पक्ष में उनकी माता के देहान्त दिनांक 15.6.2010 से पूर्व ही एक वसीयत लिखी हुई होना जाहिर किया है, ऐसे में जमनादेवी के देहान्त पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान के नाम दर्ज करने तथा उसे स्वीकृत किये जाने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या एक (वसीयती) को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिये था, जो नहीं दिया जाना प्रकट है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में हुई वसीयत को निरस्त कराने हेतु किसी पक्षकार के द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई है और न ही सिविल न्यायालय द्वारा उसे निरस्त किया गया है।

ऐसे में हम यह समझते है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण को उप तहसीलदार भाद्राजून को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, वो उचित है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार होने से खारिज किये योग्य है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी आहोर) द्वारा राजस्व अपील 20/2013 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.2015 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0 ,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj